फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

बदीप्रसाद बनाम जीवनसिंह वगै0

किस्म मुकदमा–दावा

मु0नं0–44/2025

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

निर्णय प्रा0 पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.07.2025	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 इस आशय का पेश किया है कि आराजी भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 0.5400 है0 वाके रामा मुडियाखेडा प्रतिवादीगण दर्ज रिकार्ड खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि है प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 अनु0 जाति के व्यक्ति है। वादी का प्रतिवादीगण की भूमि से किसी भी प्रकार कोई लेना देना वास्ता नहीं है। वादी ने तथा वादी के परिवारजन ने जबरन लठठ के बल पर प्रतिवादीगण की भूमि पर कब्जा कर लिया प्रतिवादीगण के कहने से भी नही हटाया तब प्रतिवादीगण अनु0 जाति के व्यक्ति है जिनकी भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया प्रतिवादीगण कब्जा हटाने के श्रीमान तहसीलदार सिकराय के समक्ष कानूनी रूप से 183 बी रा0का0अ0 के तहत वादी को बेदखल करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो तहसीलदार सिकराय के समक्ष विचाराधीन है। कानूनन अनु0 जाति की भूमि पर अनु0 जनजाति के व्यक्ति काबिज नहीं रह सकते है तथा अनु0 जाति की भूमि को अनु0 अनजाति के व्यक्ति किसी भी तरह से छिनकर खरीदकर जबरन कब्जा कर प्राप्त नहीं कर सकते है जिसके लिये धारा 42 रा0का0 अधिनियम के तहत प्रावधान कर रखा है। इसलिए वादी का दावा विधि वर्जित है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा वादी खारिज किया जावे। प्रार्थी/प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा खारिज करने का निवेदन किया। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादी तथा वादी के पूर्वज विवादित भूमि पर लंबे समय करीब 80 साल पूर्व से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं है। तथा संवत 2008 से 2015 की गिरदावरी में भी वादीगण के पूर्वजों का नाम अंकित है। वादी संवत 2008 से रिकॉर्डेड काबिज काश्त जरिये बुजुर्गोन चले आने से कानूनन अपना नाम खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 खारिज किया जावे। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि अनु0 जाति की भूमि है जिसमें कानूनन अन्य जाति के व्यक्ति को भूमि हस्तान्तरण किया जाना प्रतिबंधित है। तथा केवल कब्जे मात्र से खातेदारी दिया जाना भी विधि वर्जित है। तथा प्रार्थना पत्र	

उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

बद्रीप्रसाद / जीवनसिंह, दावा, [illegible]/20.. (44/20..)

आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के संबंध में यदि विधिक प्रावधानों का अवलोकन करें तो ज्ञात होता है कि वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा–

क. जहां वह वाद–हेतुक प्रकट नहीं करता है,

ख. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

ग. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

घ. जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,

ड. जहां यह दो प्रतियों में फाइल नहीं किया जाता है,

च. जहां वादी नियत 9 के अपबंधो का अनुपालन करने में असफल रहता है।

प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णित प्रकरण जयमल बनाम रमेश अपील डिक्री/टी.ए./9118/2008/जयपुर निर्णय दिनांक 09.03.2016 से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया, उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा अंकित किया है कि 2011 आर.आर.डी. पेज 508 जगदीश बनाम सीताराम वगै0 में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल की पूर्ण पीठ द्वारा पारित निर्णय अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर काश्तकारी अधिनियम में अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं है तथा नया कानून प्रतिपादित करने की रेवेन्यू कोर्ट को विधायी शक्तियां प्राप्त नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहद पीठ ने जरिये निर्णय दिनांक 15.07.2015 अंतर्गत नजीर तारा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में इसी सिद्वान्त को प्रतिपादित करते हुए निर्णय दिया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते है। वादी द्वारा इस प्रकरण में लम्बें कब्जे के आधार खातेदारी अधिकार चाहे गए है जिसके संबंध में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के अवलोकन से स्पष्ट है केवल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिए जाने का कोई प्रावधान काश्तकारी अधिनियम में नहीं है, तथा प्रकरण में किसी प्रकार से वाद हैतुक प्रकट नहीं होता है, इसलिए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट सिकराय जिला–दौसा (राज.)